

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 76/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गोमाराम पुत्र पीराराम 2. ठाकराराम पुत्र पीराराम 3. नैनू पत्नि पीराराम 4. मेगाराम पुत्र मानाराम 5. केवलराम पुत्र मानाराम 6. रूपाराम पुत्र मानाराम 7. दमी पत्नि मानाराम जातियान जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा		1. गंगाराम पुत्र नरसींगाराम 2. मांगाराम पुत्र नरसींगाराम 3. केहराराम पुत्र नरसींगाराम 4. दलाराम पुत्र नरसींगाराम 5. नारणाराम पुत्र नरसींगाराम 6. वीरमाराम पुत्र नरसींगाराम जातियान जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा 7. शाखा प्रबन्धक, दी- सेन्द्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सिणधरी 8. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 08 पैरोकार उपस्थित, शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 08.08.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि मौजा— बिलासर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 2 रकवा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 3 रकवा 19.1490 हैक्टेयर व खसरा सं. 5 रकवा 5.0320 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 22.11.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड वाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने के लिए धिक्कृत किया गया था।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी



तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- विलासर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 2 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 3 रकबा 19.1490 हैक्टेयर व खसरा सं. 5 रकबा 5.0320 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	गोमाराम 1/2, ठाकराराम 1/2 पि. पीराराम जाति सा. बिलासर खातेदार	बिलासर	2	0.0243	गै. मु. ढाणी		हरा
			3	3.4382	बा.दो.	0.21	
			3	1.2216	बा.दो.	0.07	
			3	2.0549	बा.दो.	0.12	
			5	1.2620	बा.दो.	0.08	
		योग	5	8.0010		0.48	
2.	केवलराम हि. 1/4, मेगाराम हि. 1/4, रूपाराम हि. 1/4 पि. मानाराम, दमी पत्नि मानाराम हि. 1/4 जाति जाट सा. बिलासर खातेदार रहन- BCCB शाखा सिणधरी	बिलासर	3	0.3236	बा.दो.	0.02	आसमानी
			3	5.1614	बा.दो.	0.31	
			5	2.5160	बा.दो.	0.15	
		योग	3	8.0010	बा.दो.	0.48	
3.	केहराराम हि. 1/6, गंगाराम हि. 1/6, दलाराम हि. 1/6 नारणाराम हि. 1/6, मांगाराम हि. 1/6, वीरमाराम हि. 1/6 पि. नरसींगाराम जाति जाट सा. बिलासर खातेदार	बिलासर	3	1.6180	बा.दो.	0.10	पीला
			3	1.2782	बा.दो.	0.08	
			3	3.8508	बा.दो.	0.23	
			5	1.2540	बा.दो.	0.07	
		योग	4	8.0010	बा.दो.	0.48	
4.	संयुक्त भूमि सभी खातेदारान यथावत (मार्ग हेतु प्रस्तावित)	बिलासर	3	0.2023	बा.दो.	0.01	लाल

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी